न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री समदरसिंह भाटी आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 235/2022

प्रार्थीगण

1 सवाई 2 सरूपा 3 भूरा 4 भरत कुमार उर्फ भुटिया पिसरान सागाराम जाति सुथार निवासी सुथारों की ढाणी, पटवार हल्का भाड़खा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर।

बनाम

अप्रार्थीगण

1 इन्द्राराम 2 चनणाराम पिसरान सांगाराम 3 धानाराम 4 भूराराम पिसरान ठाकराराम 5 मेहराराम 6 लीलाराम पिसरान सांगाराम 7 कानाराम 8 निम्बाराम 9 जुंजाराम पिसरान मूलाराम 10 रूखमों पत्नी मूलाराम 11 मदन 12 जेठा पिसरान हिमथाराम जाति सुथार निवासी सुथारों की ढाणी, पटवार हल्का भाडखा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR Act.

उपस्थिति :–

1 श्री भुरचन्द जांगीड़, वकील प्रार्थीगण।

आदेश

दिनांक 25-11-22

संक्षिप्त में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा सुथारों की ढाणी पटवार हल्का भाड़खा तहसील बाडमेर ग्रामीण के खसरा संख्या 177 रकबा 32.5367 हैक्टयर भूमि आई हुई है। वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के पूर्वज सताराम के देहान्त होने पर उनके पुत्र पीथाराम व तेजाराम के हिस्से में 1/2–1/2 भूमि आई किन्तु तेजाराम के वारिशान क्रमशः सांगाराम, तगाराम व हिमथाराम पिसरान हुकमाराममें आगे विवादित आराजी 1/6–1/6 हिस्से मे खातेदारी में दर्ज हुई तथा पीथाराम के वारिशान में प्रार्थीगण के पिता सांगाराम तक आराजी 1/2 हिस्से में खातेदारी में दर्ज हुई। वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के हिस्से में 1/30–1/30 अप्रार्थी संख्या 03 व 04 के हिस्से में 1/60–1/60, अप्रार्थी संख्या 05 व 06 के हिस्से में 1/30–1/30, अप्रार्थी संख्या 06 से 09 के हिस्से में 1/24–1/24 अप्रार्थी संख्या 10 से 11 के हिस्से में 1/12–1/12 तथा प्रार्थीगण के हिस्से में 1/8–1/8 आती है तथा पक्षकारान उक्त हिस्से अनुसार मौके पर कब्जा कर काश्त करते आ रहे है। वर्तमान में तहसील कार्यालयों में ऑनलाईन रिकॉर्ड होने से वि... के हिस्सा समान रूप से 1/16–1/16 अंकित कर दिये गये है ... पक्षकारान में विवाद उत्पन्न हो गया तथा अप्रार्थीगण ... हिस्से से अधिक ... अपने के लिए प्रार्थीगण की भूमि पर जबरन कब्जा करने ... मौजा सुथारों की ढाणी पटवार हल्का भाड़खा तहसील बाडमेर ग्रामीण के खसरा संख्या 177 रकबा 32.5367 हैक्टयर भूमि की वर्तमान हिस्से गलत होने से राजस्व रिकार्ड में सही अंकित किया जाना आवश्यक होने से उक्त भूमि में प्रार्थीगण के हिस्से में 1/8–1/8 तथा अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के हिस्से मे 1/30–1/30 अप्रार्थी संख्या 03 व 04 के हिस्से में 1/60–1/60, अप्रार्थी संख्या 05 व 06 के हिस्से मे 1/30–1/30, अप्रार्थी संख्या

Signature Not Verified

Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2023.01.20 14:15:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर

06 से 09 के हिस्से में 1/24–1/24 अप्रार्थी संख्या 10 से 11 के हिस्से में 1/12–1/12 अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश प्रदान करावे।

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण ईकतरफा।

वकील प्रार्थीगण को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न राजस्व दस्तावेज जमाबन्दी संवत 2076–2079, जमाबन्दी संवत 2072 से 2075, खतौनी बन्दोबस्त, नामान्तकरण पंजीका ग्राम भाडखा, खतौनी बन्दोबस्त 2012 से 2031, खेवट खतौनी 2035 का गंभीरता पूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं राजस्व दस्तावेजों के मद्देनजर मौजा सुथारों की ढाणी पटवार हल्का भाड़खा तहसील बाडमेर ग्रामीण के खसरा संख्या 177 रकबा 32.5367 हैक्टयर भूमि के सम्बन्ध में वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में हिस्सों का गलत अंकन हो जाने से उसे शुद्ध किया जाना उचित प्रतीत होता है। लिहाजा पूर्व रेकर्ड अनुसार प्रार्थीगण के 1/8–1/8 हिस्सों को राजस्व जमाबन्दी में शुद्ध किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा सुथारों की ढाणी पटवार हल्का भाड़खा तहसील बाडमेर ग्रामीण के खसरा संख्या 177 रकबा 32.5367 हैक्टयर भूमि में प्रार्थीगण का हिस्सा 1/8–1/8 राजस्व रिकॉर्ड में हिस्से दुरूस्त किये जाते है। तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण उक्तानुसार राजस्व अभिलेख शुद्ध करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2023.01.20 14:15:58 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 25-11 [illegible] सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर